ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण,

भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर–नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्व नगर, उ0प्र0।

पत्रांक संख्याः–ग्रे0नो0 / आई0टी0 / 2020 / 17394
दिनांकः–28 / 2 / 2020

कार्यालय–आदेश

ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण की 117 वीं बोर्ड, दिनांक 10.02.2020 के अनूपूरक–2 मद सं0ः–117 / 5 में मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार सूचना प्रौधोगिकी योजनान्तर्गत आवंटनों में जिनके द्वारा परियोजना पर निवेश की शर्तों का अनुपालन समयबद्व नही किया गया है एवं ऐसे आवंटनो में जिन्होने अपनी परियोजनाओं को आई0टी0 / आई0टी0ई0एस0 के स्थान पर औधोगिक विभाग की नीतिगत विवरणिका में अनुमन्य परियोजनाओं में परिवर्तित करने हेतु अनुरोध किया गया है ऐसे आवंटनों में मेगा इन्वेस्टमेन्ट यूनिट के अन्तर्गत अनुमन्य छूट को वापस लेने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रौधोगिकी योजनान्तर्गत आवंटनों में मेगा इन्वेस्टमेन्ट यूनिट के अन्तर्गत अनुमन्य छूट को वापस लेने हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की गयी हैः–

1. पट्टा प्रलेख निष्पादन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए मेगा इन्वेस्टमेन्ट यूनिट की छूट से लाभान्वित ईकाईयों / आवंटियों को प्रीमियम के मद में प्राप्त छूट की 25 प्रतिशत धनराशि पर 11 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज लिया जाएगा। 03 वर्ष के उपरान्त उक्त छूट को जमा कराने की तिथि तक (11+3)% दण्ड ब्याज अर्द्ववार्षिक चकवृद्वि ब्याज अधिरोपित होगा।

2. मेगा इन्वेस्टमेन्ट की छूट के उपरान्त निर्धारित लीज रेन्ट की धनराशि पर आरोपित दण्डात्मक ब्याज 14 प्रतिशत छःमाही चकवृद्वि ब्याज के आधार पर ही लाभान्वित ईकाई / आवंटी कम्पनी से लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाभान्वित आवंटी / ईकाईयों को मेगा इन्वेस्टमेन्ट यूनिट के अन्तर्गत 25 प्रतिशत छूट की धनराशि पर आरोपित लीज रेन्ट की धनराशि पर 11 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ जमा कराना होगा। माँग पत्र जारी होने के 90 दिन के अन्दर माँग धनराशि जमा न करने की स्थिति में (11+3)% दण्ड ब्याज अर्द्ववार्षिक चक्रवृद्वि ब्याज अधिरोपित होगा।

3. चूँकि लाभान्वित ईकाई / आवंटियों से बिन्दु संख्या–1 एवं बिन्दु संख्या–2 पर मेगा इन्वेस्टमेन्ट की छूट समाप्त करते हुए, छूट समाप्त करने की तिथि तक ब्याज / दण्ड ब्याज पृथक से वसूला जायेगा। ऐसे में समय विस्तरण शुल्क परिवर्तित प्रीमियम एवं लीज रेन्ट के आधार पर निर्धारित नियमों के अनुसार ही आवंटी कम्पनी को जमा कराना होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावीं होगें।

ह0, 27/02/20

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (वित / आई0टी0), ग्रेटर नौएडा।
3. प्रभारी (नियोजन), ग्रेटर नौएडा।
4. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण बेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी